निविदा सूचना

अध्यक्ष जिला परिषद की ओर से कार्यापालक अभियन्ता, दक्षिण अंडमान मंडल, जिला परिषद, निम्नलिखित कार्यों के लिए अ0 लो0 नि0 वि0, के. लो. नि. वि., सेना इंजीनियरिंग सेवा, अण्डमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य तथा डाक एंव तार के उचित श्रेणी के वास्तविक एवं अनुभवी ठेकेदोरो से अलग-अलग मुहरबंद मदन्दर निविदा (के. लो. नि. वी. फार्म -८ पर) आमंत्रित करते हैं ।

क्रम. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	निविदों दस्तावेजा का मूल्य	बयाना राशि	अवधि
१.	होप टाउन में मुख्य सड़क से अन्ना नगर तक ग्रमीण सड़क का निर्माण।	रू. 17,43,935/-	रू.500/-	रू.34,879	12 महिने

निविदा फार्मों के सेट एंव शर्ते कार्यपालक अभियंता, दक्षिण अडमान के कार्यालय में किसी भी काय दिवस के दौरान शाम 4.00 बजे तक 500/- रू0 प्रति सेट की अदायगी (जो लौटाए नही जायेगे) तथा आयकर बुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके प्राप्त किए जा सकते हैं ।

उचित श्रेणी के ठेकेदोरो को निविदा दस्तावेजो की प्राप्ति के लिए बीते हुए पांच वर्षो के दौरान समान प्रकार तथा परिमाण के दीन कार्यो की सफलता पूर्वक पूरा करने की दस्तावेजी प्रमाण देना होगा, साथ ही कार्यों की सूची भी देना होगी अन्यथा निविदा दस्तावेज जारी नही किए जाएगें।

निविदा फार्मों की प्राप्ति के लिए आवेदन 24.03.2004 के शाम 4.00 बजे तक स्वीकार किए जाएगें । निविदा फार्मों की बिक्री 26.03.2004 के शाम 4.00 बजा तक किए जायेगें । निविदा 30.3.04 के शाम 3.00 बजे तक स्वीकार किए जायेगें और उसी दिन शाम 3.30 बजे इच्छुक निविदा दताओं की उपस्थिति में कार्यपालक अभियंत द0 अण्डमान के कार्यालय मे खोले जाएगें।

दी गई बयाना राशि को किसी भी अनुसूचित बैंक मे जमा किया जाना होगा तथा उसकी चलान रसीद निविदा के साथ दी जानी होगी अथवा राशि की माँग जमा रसीद के रूप में किसी भी अनुसूचित बैंक जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्याकृत हो, कार्यपालक अभियंता दक्षिण अडमान मंडल के पक्ष में जमा किया जा सकता हैं ।

निविदा एंव बयाना राशि को अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में डाल कर उसके ऊपर निविदा और बयाना राशि लिखे जाने होंगे और दोनो को एक साथ अलग लिफाफे में मुहरबंद करके जमा की जानी होगी।

जिन्होने उपरोक्त दी गई पद्धति के अनुसार बयाना राशि जमा नही की हो, उनके निविदा सरकारी तौर पर रद्द कर दिए जायेगे।

कार्यपालक अभियंता , दक्षिण अडमान मंडल,जिला परिषद के पास किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित हैं।

DIPT/236/04

कार्यपालक अभियंता
दक्षिण अडमान मंडल
जिला परिषद
(अध्यय जिला परिषद की ओर से)

परगानाधिकारी कार्ट में पेयजल शौचालय न होने से जनता परेशान

पोर्ट ब्लेयर (स0 आ0)

लोक जन शक्ति ने प्रशासन उच्च अधिकारियों का ध्यान परगनाधिकारी कार्यालय मे हो रही जनता को पेय जल एंव शौचालय के अभाव के कारण परेशानी की ओर ध्यान दिलाते हुए शीघ्र ही उपरोक्त जन समस्या का निवारण करने की मांग की।

श्री खान इस समबन्ध मे द्वीपों के उप राज्यपाल से मिलकर जनता की इस कठीन समस्या से अवगत कराएगे।

बताया जाता है कि आस पास से आने वाली जनता जिनको परगनाधिकारी कार्यालय मे केस तथा अन्य मामलों में सारा - सारा दिन व्यतीत करना पड़ता है लेकिन न तो उनके बैठने की व्यवस्था है और यहा तक कि उनके शौचालय एंव पेय जल की व्यवस्था न होने के कारण जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ।

श्री खान ने प्रशासन के उच्च अधिकारियों से शीध्र ही इस समस्या के समाधान की मांग की।

कांग्रेस का पत्रकार सम्मेलन २५ को

पोर्ट ब्लेयर (स0 आ0)

ए.एन.टी.सी.सी के महा सचिव श्री किशन चन्द ने प्रेस विज्ञपति मे जानकारी देते हुए बताया कि गाँधी भवन कांग्रेस मुख्यालय पर २५ मार्च को सुबह ११ बजे किया गया है, इस पत्रकार सम्मेलन मे सभी पत्रकारो से पहुचने की अपील की गई ।

क्षेत्रीय समाचार विज्ञापन आदि के लिए सम्पर्क करें

आदर्श कम्पयुटर्स

जंगली घाट, पोर्ट ब्लेयर
फोनः २३८४३४